

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही लिखा जावे जा कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सन्दर्भित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/ ४२०।

दिनांक: 14/12/11

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सन्दर्भ पं. श्यामचरण उद्याध्याय महाविद्यालय, जौरा-खुर्द, मुरैना (07532-242086) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए.- (आ.पा., हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, सैन्य विज्ञान, संस्कृत एवं कम्प्यूटर), बी.कॉम. (कम्प्यूटर संस्कृत अति. विषय), बी.एस.-सी.- (आ.पा., रसायन, जन्म विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस अति. वि.) एवं पी.जी. डी.सी.ट. पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442603)

(2) प्रो. एस.डे. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. के.एस. ठाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर

(4) डॉ. ओ.पी. बुद्धांगिका, विभागाध्यक्ष, शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धोरहर राशि, वांछित ईंशणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा दिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्राप्तानं एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस द्वारा अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदादी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करवे होंगे। तत्पश्चात् दी निरीक्षण समिति का पुर्वांगत किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विनांकों को प्रेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति द्वारा सम्बद्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुसुनिधि से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उत्तम प्रभ अवहार कुमारपिंड जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा  
ति तिथि अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
उत्तमपिंड विद्यालय पर उपर्युक्त नाम प्रभ  
अवहार कुमा रो तो पर क्रमांक एवं विभिन्न  
अधिकारी का जावे विस्तृत लिखा हो।



फ़ाइल नं.: जुरेग/ग्वि.  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(फ़ोनिक)  
2442462 (फ़िक्स)  
फ़ैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwi@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ ४९८२

दिनांक : २५/५/१२

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की घारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपालिका की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के विर्णवानुसार पं. स्थानाचरण उपाध्याय विश्वविद्यालय, जौहा-खुर्द, मुरैना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संघालित बी.बी.ए. प्रब्रह्म वर्ष, बी.सी.ए. प्रब्रह्म वर्ष, बी.लिंग., एम.कॉम. पूर्वार्द्ध, एम.ए. पूर्वार्द्ध-हिन्दी एवं अंग्रेजी, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता विभिन्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

### शर्तें/प्रतिबंध :-


1. महाविद्यालय द्वारा परिवियम 28(17) के अन्तर्गत शैक्षणिक नियुक्तियाँ एवं स्पैट्स ऑफीसलर, पुस्तकालयाच्यक्षम एवं डैक्नीकल स्टोर की नियुक्तियां की जावे।
2. महाविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 15,000-15,000/- रु. की पुस्तकें (कुल 1,00,000/- रु. की पुस्तकें) क्रय की जावे।
3. महाविद्यालय द्वारा व्यूनिटम 10 कम्प्यूटर क्रय किए जावे उन्हें लेन से जोड़ा जावे और लायसेन्स सॉफ्टवेर क्रय किया जाते।
4. शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जावे।

बोट :- महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त शर्तों की पूर्ति 30 जून 2012 तक आवश्यक रूप से कर ली जावे अवध्या सत्र 2012-13 की सम्बद्धता पर विद्यार लही किया जावे।

### ठीक संख्या :-

बी.बी.ए. - 60	बी.सी.ए. - 60	एम.कॉम. - 25
बी.लिंग. - 20	एम.ए. (हिन्दी) - 30	एम.ए.(अंग्रेजी) - 30

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

### प्रति,

1. प्राचार्य, पं. स्थानाचरण उपाध्याय महाविद्यालय, जौहा-खुर्द, मुरैना
2. आयुका, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सलपुष्टा भवन, भोपाल।
3. शेशील अतिरिक्त संघालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बंबल लंगान, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उपकुलसचिव (सम्बद्धता)